फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मेरापुर

दिनांक - 26.02.2026

मु0अ0सं0 348/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त/गैंग सदस्य सुखवीर सिंह द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी स्वयं व अपने परिजनों के नाम अवैध चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब "एक करोड़ पचहत्तर लाख चवालीस हजार छः सौ बाइस रुपये उनतीस पैसे(1,75,44,622.29)" को थाना मेरापुर पुलिस द्वारा धारा 14(1) के अन्तर्गत पर कुर्क किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कायमगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 348/2025 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम गैंग लीडर 01. जुबैर खान पुत्र लड्डन खान निवासी मो0 गढी इज्जत खां कस्बा व थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़, व गैंग सदस्य सुखवीर सिंह द्वारा अवैध रुप से अर्जित स्वयं व स्वयं के परिजनों के नाम पंजीकृत अवैध सम्पत्ति कीमत करीब 1,75,44,622.29/- (एक करोड़ पचहत्तर लाख चवालीस हजार छः सौ बाइस रुपये उनतीस पैसे) को गैंगस्टर की धारा 14(1) के अन्तर्गत शासन द्वारा नियुक्त प्रशासक तहसीलदार कायमगंज के नेतृत्व में कुर्क किया गया।

अभियुक्त/गैंगसदस्य सुखवीर सिंह उपरोक्त व उसके परिवारीजनों की कुर्क की गयी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण:-

अचल सम्पत्ति

क्र0सं0	नाम पंजीकृत स्वामी	सम्पत्ति का विवरण	क्षेत्रफल	सरकारी मूल्यांकन (रूपये)	बाजार मूल्यांकन (रू0)
1.	सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम रूटौल परगना कम्पिल तहसील कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद	लेखपत्र सं0 706/2021 दिनांक 23.01.2021 & शुद्धि पत्र सं0 1305/2021 दिनांक 12.02.2021 कृषि भूमि गाटा सं0 245 मौजा रुटौल परगना कम्पिल तहसील कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद	0.073 हे0 अर्थात कुल 730 वर्ग मीटर	10,22,000/-	45,00,000/-
	सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम रूटौल परगना कम्पिल तहसील कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद	आवसीय भवन स्थित शिव मन्दिर के बगल मे कायमगंज-अलीगंज रोड ग्राम रूटौल कायमगंज थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद	160.031 वर्ग मीटर (बिल्डिंग कवरिंग एरिया 320.062 वर्ग मीटर ग्राउड फ्लोर+1st फ्लोर मिलाकर)	56,04,000/-	65,00,000/-
कुल योग				**66,26,000/-**	**1,10,00,000/-**
			सर्किल रेट पर मूल्यांकन के आधार पर ---- 66,26,000/- (छियासठ लाख छब्बीस हजार रूपये)		
			वर्तमान रेट बाजार मूल्यांकन के आधार पर ---- 1,10,00,000/- (एक करोड़ दस लाख रुपये)		

चल सम्पत्ति(बैक खाता)

क्र0सं0	खाताधारक का नाम पता	बैंक का नाम	खाता सं0	जमा धनराशि
1	सुखवीर सिह पुत्र कश्मीर सिंह	भारतीय स्टेट बैंक शाखा कायमगंज	30198736824	1,58,368.40/-
2	सुखवीर सिह पुत्र कश्मीर सिंह	पंजाब नैशनल बैंक शाखा कायमगंज	6375000100002947	28,303.67/-
3	दुर्गा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रो0 सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह	बैंक ऑफ इंडिया शाखा कायमगंज	760520110000383	7797.42/-
	अभियुक्त सुखवीर उपरोक्त के बैंक खातों में की कुल जमा धनराशि			**1,94,469.49/-**
4	ममता पत्नी सुखवीर	भारतीय स्टेट बैंक शाखा जंग बहादुरगंज जनपद लखीमपुर खीरी	37163375062	9019.80/-
	ममता के नाम बैंक खातों में कुल जमा धनराशि			**9019.80/-**
	बैंक खातों में जमा कुल चल सम्पत्ति (क्रम सं0 01 लगायत 04) का योग			**2,03,489.29/- (दो लाख तीन हजार चार सौ नवासी रुपये उनतीस पैसे)**

अभियुक्त/गैंगसदस्य सुखवीर सिंह उपरोक्त व उसके परिवारीजनों की कुर्क की गयी चल/अचल सम्पत्ति का विवरण:-

अचल सम्पत्ति

क्र0सं0	नाम पंजीकृत स्वामी	सम्पत्ति का विवरण	क्षेत्रफल	सरकारी मूल्यांकन (रूपये)	बाजार मूल्यांकन (रू0)
1.	सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम रूटौल परगना कम्पिल तहसील कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद	लेखपत्र सं0 706/2021 दिनांक 23.01.2021 & शुद्धि पत्र सं0 1305/2021 दिनांक 12.02.2021 कृषि भूमि गाटा सं0 245 मौजा रुटौल परगना कम्पिल तहसील कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद	0.073 हे0 अर्थात कुल 730 वर्ग मीटर	10,22,000/-	45,00,000/-
	सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी ग्राम रूटौल परगना कम्पिल तहसील कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद	आवसीय भवन स्थित शिव मन्दिर के बगल मे कायमगंज-अलीगंज रोड ग्राम रूटौल कायमगंज थाना कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद	160.031 वर्ग मीटर (बिल्डिंग कवरिंग एरिया 320.062 वर्ग मीटर ग्राउड फ्लोर+1st फ्लोर मिलाकर)	56,04,000/-	65,00,000/-
कुल योग				**66,26,000/-**	**1,10,00,000/-**
			सर्किल रेट पर मूल्यांकन के आधार पर ---- 66,26,000/- (छियासठ लाख छब्बीस हजार रूपये)		
			वर्तमान रेट बाजार मूल्यांकन के आधार पर ---- 1,10,00,000/- (एक करोड़ दस लाख रुपये)		

चल सम्पत्ति(बैक खाता)

क्र0सं0	खाताधारक का नाम पता	बैंक का नाम	खाता सं0	जमा धनराशि
1	सुखवीर सिह पुत्र कश्मीर सिंह	भारतीय स्टेट बैंक शाखा कायमगंज	30198736824	1,58,368.40/-
2	सुखवीर सिह पुत्र कश्मीर सिंह	पंजाब नैशनल बैंक शाखा कायमगंज	6375000100002947	28,303.67/-
3	दुर्गा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रो0 सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह	बैंक ऑफ इंडिया शाखा कायमगंज	760520110000383	7797.42/-
	अभियुक्त सुखवीर उपरोक्त के बैंक खातों में की कुल जमा धनराशि			**1,94,469.49/-**
4	ममता पत्नी सुखवीर	भारतीय स्टेट बैंक शाखा जंग बहादुरगंज जनपद लखीमपुर खीरी	37163375062	9019.80/-
	ममता के नाम बैंक खातों में कुल जमा धनराशि			**9019.80/-**
	बैंक खातों में जमा कुल चल सम्पत्ति (क्रम सं0 01 लगायत 04) का योग			**2,03,489.29/- (दो लाख तीन हजार चार सौ नवासी रुपये उनतीस पैसे)**

चल सम्पत्ति (वाहन)

क्र0सं0	वाहन स्वामी का नाम	वाहन नम्बर	वाहन का प्रकार	वर्तमान मूल्याकन
1	सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी रुटौल, कायमगंज, फर्रूखाबाद	UP76AJ3720	मोटर साइकिल	68,693/-
2	सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी रुटौल, कायमगंज, फर्रूखाबाद	UP76K7402	ट्रक	9,20,123/-
3	सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी रुटौल, कायमगंज, फर्रूखाबाद	UP76K7776	ट्रक	10,86,929/-
4	सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी रुटौल, कायमगंज, फर्रूखाबाद	UP76K7815	ट्रक	1,22,683/-
5	सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी रुटौल, कायमगंज, फर्रूखाबाद	UP76K8223	ट्रक	11,65,489/-
6	सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी रुटौल, कायमगंज, फर्रूखाबाद	UP76K8536	ट्रक	1,25,600/-
7	सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी रुटौल, कायमगंज, फर्रूखाबाद	UP76T4054	ट्रक	24,38,817/-
8	सुखवीर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी रुटौल, कायमगंज, फर्रूखाबाद	UP76T8721	ट्रक	4,12,799/-
चल सम्पत्ति वाहन (क्रम सं0 01 लगायत 08) का योग				**63,41,133/-(तिरसठ लाख इकतालीस हजार एक सौ तैंतीस रुपये)**

उपरोक्त अभियोग में जब्तीकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत अभियुक्त/गैंगसदस्य सुखवीर सिंह उपरोक्त द्वारा गैंग के सह अभियुक्तों के साथ मिलकर अपने व परिवारीजन के नाम अवैध रूप से अर्जित की गयी चल व अचल सम्पत्ति कीमत करीब 1,75,44,622.29/- (एक करोड़ पचहत्तर लाख चवालीस हजार छः सौ बाइस रुपये) को आज दिनांक 26.02.2026 को कुर्क किया गया।

अभियोग में अब तक कुल 28,26,64,245.60/- रुपयें की सम्पत्ति को कुर्क किया जा चुका है। गैंगस्टरों व माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उपरोक्त अभियोग में शीघ्र ही अन्य अवैध सम्पत्तियो की भी जानकारी करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

थाना मेरापुर से कुर्की की कार्यवाही में लगा फोर्स:

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव पाण्डेय
2.उ0नि0 श्री रासनेही शुक्ला
3.हे0का0 कुलदीप कुमार
4.का0 योगेश कुमार
5.का0 राहुल कुमार

1.थाना कोतवाली कायमगंज से प्र0नि0 श्री मदन मोहन चतुर्वेदी मय हमराह पुलिस बल
2.पुलिस लाइन फतेहगढ़ से पीएसी बल।

मीडिया सेल फतेहगढ़

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना साइबर क्राइम

फतेहगढ़

दिनांक - 26.02.2026

थाना साइबर पुलिस टीम द्वारा देश भर में 100 से अधिक साइबर शिकायतों में संलिप्त तथा लगभग 65 लाख रुपये की ठगी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2026 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस तथा 66(डी) आईटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त जागेश्वर पुत्र वेदराम को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. जागेश्वर पुत्र वेदराम निवासी ग्राम पुत्तु सिंह का गुडेरा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त द्वारा अपने मोबाइलों से जस्ट डायल एप पर फर्जी आईडी बना कर उस आईडी पर प्राप्त होने वाली लोगों की इन्क्वायरी पर व्हाट्सएप्प और फोन कॉल के जरिये लोगों के साथ ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने के नाम पर व्हाट्सएप नंबरों से चैट करके बुकिंग का एडवांस देने के नाम पर धोखाधड़ी कर तथा लोगों को विश्वास में लेने के लिये अन्य कम्पनी/फर्म तिरूपति लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लि0 के नाम से बने जीएसटी, आरसी व ऑनलाइन फर्जी बैंक ट्राजेक्शन रसीद बना कर व अन्य फर्जी प्रपत्र लोगों को भेज कर उनके साथ साइबर ठगी करता है। जिसके विरुद्ध देश के अलग-अलग राज्यों के जनपदों में साइबर ठगी से सम्बन्धित लगभग 100 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। जिसके दौरान अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिल कर लोगों से फर्जी ट्रांसपोर्ट सुविधा देने के नाम पर अब तक करीब 65 लाख रूपय तक की साइबर ठगी कर चुका है।

बरामदगी का विवरण-

01.03 मोबाइल (इस्तेमाल किए गए मोबाइल व लोगों से धोखाधड़ी कर व्हाट्सएप की गयी चैट व भेजे गये फर्जी दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट।)

गिरफ्तार करने वाली थाना साइबर पुलिस टीम-

1. निरी0 श्री जोगेन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री सुबोध यादव
3. का0 अरविन्द यादव
4. का0 कौटिल्य
5. का0 दिपिन राठी
6. का0 अंकित आर्य
7. का0 गौरीशंकर
8. म0 का0 शीतल

मीडिया सेल फतेहगढ़।

- **साइबर अपराध के प्रति जागरूकता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत पंजीकृत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत करें।**
- **सतर्क रहें , जागरूक रहें।**
- **साइबर क्राइम पुलिस उत्तर प्रदेश सदैव आपकी सेवा में तत्पर है।**

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

#ऑपरेशन मुस्कान

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा 10 वर्षीय गुमशुदा बालक को 03 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर परिवारीजनों को सुपुर्द किया गया।

थाना कादरीगेट

आवेदक निवासी नारायणपुर सूर्य मंदिर के पास थाना कादरीगेट द्वारा अपने 10 वर्षीय बालक के खेलते हुए कहीं चले जाने के सम्बन्ध में थाना कादरीगेट पर सूचना दी गयी थी, प्राप्त सूचना पर थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा तत्काल टीम गठित कर ऑपरेशन मुस्कान के तहत त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी के पुत्र को सूचना प्राप्त होने के 03 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। परिजनों व आमजनमानस द्वारा फतेहगढ़ पुलिस की तत्परता की भूरि भूरि प्रशंसा की गयी।

हिन्दुस्तान

जुबैर गैंग के गुर्गे की 1.75 करोड़ की संपत्ति जब्त

कायमगंज, संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध से अर्जित संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। नगर से सटे गांव गढ़ी इज्जत खां निवासी गैंगस्टर जुबैर खान की करीब 26 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क किए जाने के तीन दिन बाद गुरुवार को पुलिस-प्रशासन ने गैंग के सक्रिय सदस्य सुखवीर यादव की चल-अचल संपत्ति पर कुर्क करने की बड़ी कार्रवाई की। 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। कर चोरी के आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन को अपने एवं परिजनों के नाम निवेश किया था।

डीएम के आदेश पर तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर, क्षेत्राधिकारी राजेश द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी, इंस्पेक्टर लाइन ऑर्डर सुरजीत सिंह व थाना मेरापुर इंस्पेक्टर विवेचनाधिकारी राजीव पाण्डेय भारी पुलिस बल और राजस्व टीम के साथ आरोपी के रुटौल गांव पहुंचे। टीम ने ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराते हुए कुर्की की प्रक्रिया शुरू कराई। पुलिस ने आरोपी के मकान की दीवार पर मुकदमे से संबंधित कार्रवाई अंकित कर घर को सील कर दिया। इसके बाद प्रशासनिक टीम अलीगंज रोड स्थित कृषि भूमि पर पहुंची, जहां सार्वजनिक मुनादी कराकर जमीन पर सरकारी कब्जे का निषेध बोर्ड लगा दिया गया। पुलिस के अनुसार, गैंगस्टर जुबैर के संगठित गिरोह में यमकोरी सुखवीर रहे।

अलीगंज रोड स्थित कृषि भूमि पर बोर्ड लगाकर मुनादी कराती पुलिस । । • हिन्दुस्तान

कड़ी निगरानी के बीच संपत्ति पर हुआ एक्शन

कायमगंज। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जांच में सामने आया कि आरोपी सुखवीर ने कर चोरी के आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन को अपने एवं परिजनों के नाम निवेश किया था। दो मंजिला आलीशान मकान कीमत लगभग 65 लाख रुपये तथा गांव रुटौल स्थित कृषि भूमि करीब 45 लाख रुपये शामिल है। मूल्य लगभग 1.10 करोड़ रुपये आंका गया।

मीडिया सेल फतेहगढ़